2019/00165

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास – यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
में जा

राजस्व वाद सं. 401/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रवण कुमार सिंह पुत्र श्री मूलसिंह मदनसिंह पुत्र श्री मूलसिंह सभी जति राजपूत निवासी पड़ियाल तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1. मूलसिंह पुत्र श्री चिमनसिंह जति राजपूत निवासी पड़ियाल तहसील फलोदी जिला जोधपुर(राज.) प्रमिला कंवर पुत्री श्री मूलसिंह पत्नी श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी गोरेश जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर(राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

स्थिति :–

श्री प्रवीणसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की और से

श्री भुपेन्द्रसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादीगण की और से।

निर्णय

दिनांक :–07.01.2020

दीगण के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं अन्य सहहिस्सेदारान की मलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम खीचड़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र पड़ियाल तहसील लोदी में खेत खसरा नम्बर 626 रकबा 91.19 बीघा, खसरा नम्बर 363 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 637 बा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 108.17 बीघा कुल रकबा 203.04 बीघा के रूप में स्थित है। क्त खसरान् की भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा के रूप में दर्ज है। वादीगण एवं तिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा संताने है। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि पूर्व में दीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज चिमनसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा चिमनसिंह के फौत होने र उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण के प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई इसलिये उक्त दग्रस्त खसरान् की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति होने से उक्त वादग्रस्त खसरान् की मि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को जन्म से ही खातेदारी अधिकार निहित हो जाते हैं। वादीगण एवं तिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की जायंदा संतान होने के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक को उक्त वादग्रस्त सरान् की भूमि में 1/4 – 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण रकबा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को 1/8 – /8 हिस्सा भूमि बंट में आती है इसी अनुसार ही मौके पर वादीगण का आज दिन तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में मौके पर रहवासीय ढाणीयां पानी के टांके पालतु मवेशीयों के लिये बाड़े इत्यादि बनाये हुवे है जिसमें अपने अपने परिवार सहित बारह ही निवास करते आ रहे है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं की है। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि पुश्तैनी सदायिकी भूमि होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में अपने 1/8 – 1/8 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है।

उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी काश्त भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से विरासत प्राप्त हुई है तथा उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहदायिकी भूमि होने से वादीगण का अपने अपने हिस्से पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को पूर्व में कई मर्तबा उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम आपसी सहमति से दर्ज करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते आ रहे है लेकिन अभी दिनांक 15.02.2019 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम आपसी सहमति से दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तब वादीगण को यह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता भुपेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने वकालापनामा पेश कर वाद स्वीकार किया।

वादीगण अधिवक्ता की वाद पर बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की ग्राम खीचड़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र पड़ियाल तहसील फलोदी में स्थित खसरा नम्बर [illegible] बीघा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 18:59:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

र 363 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 637 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 108.17 बीघा कुल बा 203.04 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी या 1 की जायन्दा संताने है। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज नसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा चिमनसिंह के फौत होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई इसलिये उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि वादीगण प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति होने से उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त गये। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की जायंदा ान होने के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में ीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक को उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में 1/4 – 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण बा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को 1/8 – 1/8 हिस्सा भूमि बंट में आती है इसी अनुसार ही मौके पर ीगण का आज दिन तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की उक्त वादग्रस्त खसरान् भूमि में मौके पर रहवासीय ढाणीयां पानी के टांके पालतु मवेशीयों के लिये वाड़े इत्यादि बनाये हुवे है समें अपने अपने परिवार सहित बारह ही निवास करते आ रहे है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी ार की कोई दखल अंदाजी नहीं की है। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि पुश्तैनी सदायिकी भूमि होने से ीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में अपने 1/8 – 1/8 हिस्सा की तेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रैस, इत्यादी का वलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम खीचड़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र पड़ियाल तहसील फलोदी जिला ोधपुर के खसरा नम्बर 626 रकबा 91.19 बीघा, खसरा नम्बर 363 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 637 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 108.17 बीघा कुल रकबा 203.04 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ी सहदायिकी भूमि होने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/8 –1/8 हिस्सा का खातेदार ाश्तकार जाता है।। वादी ने अपने वाद को दस्तावेजात् से साबित किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार ोग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

ादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर खीचड़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र पड़ियाल तहसील फलोदी जिला जोधपुर े खसरा नम्बर 626 रकबा 91.19 बीघा, खसरा नम्बर 363 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 637 रकबा 1.08 ीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 108.17 बीघा कुल रकबा 203.04 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की हदायिकी भूमि होने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/8 –1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार ोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार वादीगण का ाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे निर्देशन में टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यशपाल अहूजा (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) फलौदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 18:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी

1. श्रवण कुमार सिंह पुत्र श्री मूलसिंह
2. मदनसिंह पुत्र श्री मूलसिंह

सभी जति राजपूत निवासी पड़ियाल तहसील फलोदी जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मूलसिंह पुत्र श्री चिमनसिंह जति राजपूत निवासी पड़ियाल तहसील फलोदी जिला जोधपुर(राज.)
2. प्रमिला कंवर पुत्री श्री मूलसिंह पत्नी श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी गोरेश जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर(राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

द संख्या 40/2019

इ मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री प्रवीण सिंह राठौड़ अधिवक्ता मिनजानिब व श्री न्द्रसिंह राजपुरोहित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खीचड़ों की ढाणी पटवार त्र पड़ियाल तहसील फलोदी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 626 रकबा 91.19 बीघा, खसरा नम्बर 363 क़बा 01 बीघा, खसरा नम्बर 637 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 108.17 बीघा कुल रकबा 03.04 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहदायिकी भूमि होने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण त्येक को 1/8 –1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुतालिक

बाबत

र्च इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।
वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर एवं ... दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 18:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner